District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

S.T. Case no. 489 of 2024

(Chandradeep P.S. Case No. 124/2018)

Date of Judgement : 22-04-2026

State of Bihar through informant Pappu Yadav Vs. Singho Yadav & others

न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जमुई

सत्र वाद संख्या : 489 / 2024

चन्द्रदीप थाना कांड सं0–124 / 2018

उपस्थित : **सत्यनारायण शिवहरे**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

बिहार राज्य द्वारा सूचक पप्पु यादव

बनाम

1. **सिंघो यादव** उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता भूसी यादव,
2. **बाले यादव** उम्र लगभग 73 वर्ष, पिता–भूसी यादव,
3. **राजेन्द्र यादव** उम्र लगभग 43 वर्ष, पिता–जद्दु यादव,
4. **चन्देश्वर यादव** उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता–भूसी यादव,
5. **अखिलेश यादव** उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता–जोगिन्द्र यादव,

सभी निवासी ग्राम–सगमा, थाना–चन्द्रदीप, जिला–जमुई।

आरोपः– भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504 एवं सभी सपठित धारा 34 के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से – **श्री दशरथ साह, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–22.04.2026

निर्णय

1. कांड के सूचक पप्पु यादव पिता–स्व0 बनारस यादव के द्वारा थानाध्यक्ष, थाना चन्द्रदीप को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर चन्द्रदीप थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–124 / 2018 के रूप में भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504, सभी सपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–42 / 2018, भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504 एवं सभी सपठित धारा 34 के अंतर्गत के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान (Case) लिया गया।

2. कांड के सूचक पप्पु यादव के द्वारा थानाध्यक्ष, चन्द्रदीप थाना को दिये गये लिखित आवेदन के

अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–06.11.2018 को समय करीब 14:30 बजे वह हअपने घर के पास कुंआ था। वहां पर उसके गांव के सिंघो यादव का पुत्र सुरज गिल्ली डंडा खेल रहा था तो वह बोला कि क्यों गिल्ली डंड खेलते हो, इसी बात पर सूरज उसे गाली देने लगा तब वाद विवाद होने लगा तो सिंघो यादव, बाले यादव, राजेन्द्र यादव, चन्देश्वर यादव सभी आकर उसके साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने लगे तथा उसके कुछ देर बाद अखिलेश यादव तथा राजेन्द्र यादव ने लाठी से उसके सर मारा जिससे उसका माथा फट गया। उसे बचाने उसका भाई कटियन यादव आया तो उसे भी इन लोगों ने मारपीट किया जिससे वे जख्मी हो गये। तब उसका चचेरा भाई मकेश्वर यादव उसे वहां से बचाकर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज लाया जहां उसका इलाज हुआ।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2024 को भा0द0वि0 की धारा–341, 323, 307, 504 सभी सपठित धारा–34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को हिंदी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे इन्होंने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 03 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. पप्पु यादव(काण्ड के सूचक), 2. कतिमान यादव, 3. मकेश्वर यादव है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने कथन किया है कि अभियोजन का साक्ष्य असत्य है तथा स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 पप्पु यादव** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि वह इस मुकदमा का सूचक है। घटना 6 वर्ष पूर्व समय करीब 4 बजे की है। बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो उसने मना किया। मना करने पर सिंघो यादव का बेटा धीरज यादव गाली दिया तो उसने उसे एक चाटा मारा, जिससे विवाद हुआ। फिर सभी मिलकर सिघों यादव, बलेश्वर यादव, अखिलेश यादव, राजेन्द्र यादव, चंद्रदेव यादव उसके साथ मारपीट करने लगे। चोट लगने पर अलीगंज अस्पताल गया जहां पर पुलिस आयी और घटना के बारे में बयान लिया। यह वही प्राथमिकी है, जो उसके द्वारा बोले जाने पर पुलिस द्वारा लिखा गया था, जिसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श P-1/P.W.1 अंकित किया गया है। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त राजेन्द्र यादव एवं चंद्रदेव यादव को पहचानता है। **प्रतिपरीक्षण (Cross Examination)** के दौरान साक्षी ने कथन किया है कि उस समय भीड़ भाड़ था। कैसे चोट लगी और किसने मारा उसे नहीं पता और घटना करने वाले को नहीं पहचानता है। अभियुक्त राजेन्द्र एवं चंद्रदेव गांव का है इसलिए उन्हें पहचानता है। ऐसी बात नहीं है कि जैसा उसने बयान दिया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है।

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 2 कतिमान यादव, एवं 3 मकेश्वर यादव** ने अपने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। फलतः अभियोजन द्वारा इन दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही (Hostile) घोषित किया गया।

8. अब इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504 सभी सपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

9. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1, जो इस कांड के सूचक है, ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि **उस समय भीड़ भाड़ था। कैसे चोट लगी तथा किसने उसे मारा नहीं पता तथा घटना करने वाले को नहीं पहचानता है।** इन साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504 सभी सपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. सिंघो यादव, 2. बाले यादव, 3. राजेन्द्र यादव, 4. चन्देश्वर यादव, 5. अखिलेश यादव** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 307, 504 सभी सपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–22.04.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–22.04.2026